करदेय क्षमता

(Taxable Capacity)

करदेय क्षमता का आशय किसी समुदाय की अधिक से अधिक कर देने की क्षमता या शक्ति से है। यह करारोपण की वह अधिकतम सीमा निर्धारित करती है जिसके बाद करारोपण का समुदाय की कार्यक्षमता तथा उत्पादन करने की तत्परता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अर्थात् लोगों की कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। यद्यपि डाल्टन जैसे अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि करदेय क्षमता की धारणा अस्पष्ट एवं भ्रामक है फिर भी हम अनेक विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं पर विचार करेंगे।

करदेय क्षमता को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है–निरपेक्ष करदेय क्षमता (absolute taxable capacity), सापेक्ष करदेय क्षमता (Relative taxable capacity)। जब करदेय क्षमता को निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया जाता है तो करारोपण से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है अर्थात् कर देने की अन्तिम सीमा तब आती है जबकि करारोपण के कारण लोगों की कार्यक्षमता कम होने लगती है, जीवन का रहन-सहन का स्तर गिरने लगता है इत्यादि। जब करदेय क्षमता को सापेक्षरूप में प्रयोग में लाया जाता है तो हम दो देशों अथवा दो क्षेत्रों की कर देने की सामर्थ्य की तुलना करते हैं। अब हम निरपेक्ष तथा सापेक्ष रूपों को स्पष्ट करने वाली विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं पर विचार करेंगे।

Scanned with CamScanner

करदान क्षमता का महत्त्व (SIGNIFICANCE OF TAXABLE CAPACITY)

विभिन्न परिभाषाएं करदान क्षमता का स्पष्ट रूप नहीं दर्शाती। परन्तु इससे अवधारणा का महत्त्व कम नहीं हो जाता। **फिन्डले शिराज** के मतानुसार, **"एक महत्वपूर्ण केन्द्र तक ले जाने वाली सड़क पर प्रायः कई मोड़, दिशा सूचक और खतरे के संकेत होते हैं, परन्तु इससे इनका यात्रियों को सचेत करने का मूल्य कम नहीं हो जाता।" "A road leading to an important centre has often many crossings, signposts, danger signals, but this does not lessen its value to cautions so journer."**

आधुनिक युग में लगभग सभी देश कल्याणकारी राज्य है जिनका उद्देश्य समाजिक हितों को अधिकतम करना है। इसलिए वह समाज के भिन्न वर्गों से अधिकतम धन एकत्रित करके समाज की भलाई के लिए व्यय करना चाहते हैं। वृद्धि का निरन्तर एवं उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए अल्पविकसित देशों को राजस्व के सभी सम्भव साधनों को गतिशील करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अल्प विकसित देशों में कर राजस्व का बड़ा स्रोत है जो करदान क्षमता के महत्त्व को व्यक्त करता है। अतः सभी सरकारें लोगों की करदान क्षमता को अनुमानित करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। **प्रो. फिण्डले शिराज** का कहना है, **"सरकार के लिए यह जानना सदा बुद्धिमतापूर्ण और लाभदायक होता है चाहे अस्पष्ट रूप से ही हो कि किस**

Scanned with CamScanner

सीमा तक देश सामान्य और असामान्य स्थितियों में करारोपण द्वारा योगदान कर सकता है।...." "It is always wise and useful for a government to know even roughly the limit that the country can contribute by way of taxation both in ordinary and extraordinary circumstances...." अतः करदान क्षमता की अवधारणा के महत्त्व को निम्नवत् स्पष्ट किया जा सकता है—

1. यह कर के रूप में लोगों से एकत्र होने वाली राशि के निर्धारण में महत्व रखता है।
2. आयोजन और आर्थिक विकास के कार्यों के लिए साधनों को गतिशील बनाने की दृष्टि से कर देय क्षमता का ज्ञान आवश्यक है।
3. संकटकालीन परिस्थितियों अथवा युद्ध की स्थिति में लोगों की करदेयता की क्षमता का अनुमान लगाना आवश्यक है
4. सामान्य समयों में भी आपात तथा आकस्मिक स्थितियों जैसे बाढ़ अथवा अकाल आदि से निपटने के लिए यह ज्ञान लाभप्रद है।
5. एक संघीय व्यवस्था में यह विभिन्न प्रान्तों के मध्य कर भार की तुलना के लिए भी लाभदायक है।
6. करदान क्षमता की अवधारणा, केन्द्रीय सरकार की साधनों एवं सहायता अनुदानों के वितरण में मार्गदर्शन करती है। जिससे देश के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हो सके।
7. यह अवधारणा उस सीमा का अनुमान लगाने के लिए भी आवश्यक है जिसके पश्चात् सरकार को कर नहीं लगाने चाहिए, ताकि इससे लोगों की काम करने, बचत और निवेश करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

करदान क्षमता निर्धारित करने वाले तत्त्व (FACTORS DETERMINING TAXABLE CAPACITY)

किसी देश की करदान क्षमता कई तत्त्वों पर निर्भर करती है। मुख्य तत्त्व जो करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं, वे इस प्रकार हैं—

1. राष्ट्रीय आय का आकार (Size of National Income)—एक देश की करदान क्षमता मुख्यतया राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर करती है तथा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय साधनों के उचित उपयोग, कौशल, तकनीक, निवेश के ढंगों पर निर्भर करती है, यद्यपि राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी, कर दान क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी तथा राष्ट्रीय आय जितनी कम होगी करदान क्षमता भी उतनी ही कम होगी।

2. जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि दर (Size and Rate of Growth of population)—जनसंख्या का आकार और उसकी वृद्धि दर करदान क्षमता को बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही करदान क्षमता कम होगी। क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि से उपभोग पर व्यय बढ़ जायेगा। यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से कम है, तो अन्य बातें समान रहने पर प्रतिव्यक्ति आय कम हो जायेगी और इसके विपरीत स्थिति में विपरीत प्रभाव होगा।

3. आय और सम्पत्ति का वितरण (Distribution of Income and Wealth)—राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति का वितरण लोगों की करदान क्षमता को प्रभावित करता है। यदि सम्पत्ति एवं आय का वितरण असमान होता है तो करदान क्षमता ऊंची होगी क्योंकि सरकार के लिए समाज के समृद्ध वर्ग पर ऊंचे तथा प्रगतिशील कर लगा कर भारी मात्रा में राजस्व एकत्र करना सरल होगा। क्योंकि समृद्ध लोगों की कर देय क्षमता निर्धन लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर यदि वितरण अधिक न्यायोचित है तो करदान क्षमता नीची होगी क्योंकि सरकार को निर्धनों एवं समृद्धों के बीच के अन्तर को कम करने के लिए राजस्व की आवश्यकता नहीं होगी।

4. स्थायित्व तथा आय में वृद्धि (Stability and Growth of Income)—यदि अर्थव्यवस्था का संचालन सहज है तथा आय वृद्धि के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है तो करदान क्षमता ऊंची होगी जबकि इसके विपरीत स्थिति में समाज की कर-दान क्षमता निश्चय ही नीची होगी, विशेषकर उस समय जब अर्थ व्यवस्था में गम्भीर उतार चढ़ाव हो या मन्दी की स्थिति हो।

Scanned with CamScanner

5. करारोपण का ढंग (Pattern of Taxation) – करदान क्षमता करारोपण की स्थिति और ढंग पर भी निर्भर करती है। यदि कर-प्रणाली सुनियोजित तथा विस्तृत आधार वाली है तो अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था मित व्ययता एवं सुविधा के सिद्धान्तों का पालन करती है तो करदान क्षमता निश्चय ही अधिक होगी।

6. करारोपण का उद्देश्य (Purpose of Taxation) – करारोपण के उद्देश्य का करदान क्षमता की सीमा से गहरा सम्बन्ध है। यदि करों के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व, सामान्य लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाता है तो लोग और भी ऊंचे कर देने को तैयार होंगे तथा करदान की क्षमता ऊंची होगी। परन्तु यदि करों से प्राप्त आय को व्यर्थ व्ययों में लगा दिया जाता है तो लोग कर देने में संकोच करेंगे जिसके परिणामस्वरूप करदान क्षमता कम हो जायेगी। कई बार इस राशि का प्रयोग बाहरी ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है जिस से भुगतान करने वाले देश की शुद्ध आय कम हो जाती है। विपरीत स्थिति में विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे।

7. करदाताओं की मनोवृत्ति (Psychology of the Tax Payers) – करदाताओं की मनोवृत्ति देश की करदान क्षमता को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के रूप में युद्धकालीन स्थिति में जब राष्ट्र जीवन एवं मृत्यु के संघर्ष में व्यस्त होता है तो लोग कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में **प्रो. फिण्डले शिराज** ने कहा कि, **"लोगों की मनोवृत्ति से करदान क्षमता बड़ी सीमा तक सम्बन्धित है। लोग अकसर देश भक्ति तथा भावनात्मक आधारों पर भारी कर देने को तैयार होते हैं।" "The psychology of the people has much to do with the extent of taxable capacity. People are often willing to bear heavier taxation on patriotic or sentimental grounds."** इसलिए कर प्रणाली में भावनाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि लोग मनोवैज्ञानिक रूप में तनावग्रस्त हैं तो करदान क्षमता स्वयं गिर जाएगी।

8. सार्वजनिक व्यय का स्वरूप (Nature of Public Expenditure) – सार्वजनिक व्यय की प्रकृति भी करदान क्षमता की सीमा निर्धारित करती है। जब इसका प्रयोग उत्पादक परियोजनाओं में किया जाता है तो इससे देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप करदान क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि वह अनुत्पादक परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है जैसे गोला-बारूद का उत्पादन अथवा ब्याज के भुगतान के लिए तो करदान क्षमता कम हो जायेगी।

9. लोगों का जीवन स्तर (Standard of living of the people) – लोगों का जीवन स्तर परोक्ष रूप से करदान क्षमता को प्रभावित करता है।उपभोग व्यय जितना अधिक होगा, जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होगा परन्तु उच्च उपभोग केवल उच्च आय वर्ग द्वारा ही सम्भव है। अतः कुछ ही लोग जिनका जीवन स्तर ऊंचा है, उनकी करदान क्षमता ऊंची होगी। **प्रो. कालडोर** का विचार है कि व्यक्ति की करदान क्षमता निर्धारित करने के लिए उपभोग व्यय सर्वोत्तम माप है।

10. मूल्य स्तर (Price Level) – करदान क्षमता लोगों के निरन्तर बढ़ते हुए जीवन स्तर हेतु किए गए व्यय पर मौद्रिक आय के आधिक्य पर निर्भर करती है। यद्यपि यह मूल्यों पर निर्भर करता है यदि मूल्य स्तर उचित रूप से नीचा और स्थिर है तो इसका अर्थ होगा उच्च करदान क्षमता। दूसरी ओर यदि मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं तो करदान क्षमता वास्तव में नीची होगी।

11. आय में स्थायित्व (Stability in Income) – आय में स्थायित्व एक देश की करदान क्षमता को बढ़ाता है। यदि लोगों की आय स्थिर एवं नियमित है तथा इसमें तीव्र उतार-चढ़ाव नहीं है तो करदान क्षमता अधिक होगी। यदि भविष्य अनिश्चित है तो लोग अधिक बचत एवं संचय करना चाहेंगे जिससे करदान क्षमता कम होगी। भारत जैसे अल्पविकसित देश में लोगों की आय प्रायः अस्थिर होती है क्योंकि जनसंख्या का बड़ा भाग अपनी जीविका कृषि से प्राप्त करता है जो पूर्ण रूप से मानसून का जुआ है।

12. प्रशासनिक दक्षता (Administration Efficiency) – एक अच्छी एवं कुशल प्रशासनिक मशीनरी भी करदान क्षमता का माप ने करती है। यदि कर एकत्रित करने वाली मशीनरी कुशल एवं ईमानदार है और कर एक समान रूप से लागू हैं तो कर वंचना कम की जा सकती है। जिससे करदान क्षमता बढ़ेगी। अल्प विकसित देशों में प्रायः दक्षता का अभाव ही नीची करदान क्षमता का कारण होता है।

13. आर्थिक स्थितियां (Economic Situations) – व्यापार चक्र के समृद्धि काल में जब निर्माता भारी लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं तो कर दान क्षमता बहुत ऊंची होती है। इसी तरह मन्दी के समय जब लोग समस्याओं का सामना करते हैं जैसे उत्पादन का आधिक्य और बेरोज़गारी, तो निश्चित रूप में करदान क्षमता बड़ी सीमा तक कम हो जाती है।

Scanned with CamScanner

14. राजनैतिक परिस्थितियां (Political Conditions) – राजनैतिक परिस्थितियां भी करदान क्षमता निर्धारित करती हैं। स्थायी राजनैतिक व्यवस्था करदाताओं के मन में विश्वास उत्पन्न करती है। यदि वह समझते हैं कि उनकी जेब से निकाला गया धन, समुदाय की भलाई के लिए ठीक प्रकार से प्रयोग किया गया है तो वह समय पर अपने दायित्व के भुगतान के लिए तैयार रहते हैं। इसके विपरीत यदि राजनैतिक स्थिति अस्थिर होती है तथा देश में कोई नियोजित विकास नहीं होता तो करदाताओं के विश्वास को ठेस पहुंचती है और इससे समस्त जनता की करदान क्षमता गिर जाती है।

15. बचत, निवेश और आर्थिक वृद्धि (Saving, Investment and Economic Growth) – राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि बचत तथा निवेश किस प्रकार बढ़ते हैं ? अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है ? यह घटक कर दान क्षमता के मुख्य निर्धारक हैं। पूँजी निर्माण बचत और निवेश से प्राप्त होता है जिसके बिना अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव नहीं। आर्थिक वृद्धि में वृद्धि से राष्ट्रीय आय बढ़ती है जिससे अन्ततः कर दान क्षमता बढ़ेगी। इसी प्रकार जब बचत तथा निवेश बढ़ते हैं तब उत्पादन के एक शक्तिशाली घटक पूँजी में वृद्धि होती है जिससे उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। जब आर्थिक वृद्धि की दर ऊँची होगी तो राष्ट्रीय आय और कर दान क्षमता बढ़ेगी। अतः कर दान क्षमता बढ़ेगी या घटेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बचत, निवेश तथा आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है या घटती है।

16. तुलनात्मक आय-जनसंख्या वृद्धि दर (Comparative Income-Population Growth Rate) – देश की जनसंख्या एवं आय स्थायी नहीं रह सकती। यह दोनों बढ़ेगी परन्तु वृद्धि की दरें भिन्न हो सकती हैं। यदि राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तथा करदान क्षमता भी बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय आय की वृद्धि के दर से अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी, अर्थव्यवस्था निर्धन होगी तथा करदान क्षमता कम होगी। इसलिए जनसंख्या एवं आय में वृद्धि की दर का करदान क्षमता के निर्धारण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

17. उपभोग प्रकृति का स्वरूप (Pattern of Propensity to consume) – करदान क्षमता वस्तुओं एवं सेवाओं की वस्तु विविधता जिस पर राष्ट्रीय आय खर्च की जाती है, पर निर्भर करती है। प्रायः आवश्यक वस्तुएं कर मुक्त होती हैं, जबकि गैर-आवश्यक वस्तुएं करारोपण की विभिन्न मात्राओं को आकर्षित करती हैं। अतः यदि राष्ट्रीय आय का बड़ा प्रतिशत आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर उपयोग की गैर-आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किया जाता है, तो राष्ट्र की करदान क्षमता अधिक होगी।

18. मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति (Monetary and Fiscal Policy) – करदान क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि मौद्रिक अनुशासन कैसे बनाये रखा जाता है और आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति के लिए राजकोषीय उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जाता है। निवेश की गति को तीव्र करने के लिए, मौद्रिक प्राधिकरण की बैंक दर नीति बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि सरकार राजकोषीय उपकरणों जैसे करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा उधार लिए कोषों का प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया का तेज करने के लिये करती है तो राष्ट्रीय आय तथा करदान क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।

19. सरकार का स्वरूप (Nature of Government) – कर भार सहन करने की तत्परता इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश में किस प्रकार की राजनैतिक सत्ता है। यदि राज्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जहां लोग अपने आप को सरकारी निर्णयों में भागीदार मानते हैं तो कर प्राधिकरण बिना किसी रोकटोक के कर लगाने और एकत्रित करने में सफल होगा। इसके विपरीत यदि देश का शासन विदेशियों के हाथ में हैं तो करारोपण की प्रत्येक वृद्धि को एक दमन माना जायेगा जिस से लोग निराश होंगे। उत्पादन उत्साह और क्षमता के साथ कर योग्य क्षमता भी गिरेगी।

20. देशभक्ति और संकटकालीन स्थितियां (Patriotism and Emergent Situations) – एक व्यक्ति में देश भक्ति के विचार उसकी कर दान क्षमता को बढ़ायेंगे क्योंकि वह देश के विकास में योगदान करने में गर्व महसूस करेगा। करों का भुगतान, देश भक्त करदाताओं को राष्ट्र के योग्य नागरिक होने का बोध करायेगा। इसी प्रकार युद्ध अथवा अन्य संकटकालीन स्थितियों में जब देश की सुरक्षा अथवा स्वतन्त्रता दाव पर होती है तो लोग अपनी आय की एक बड़ा प्रतिशत राष्ट्रीय कोष के लिए देने को तैयार हो जाते हैं। तथापि यदि सरकार शान्ति काल में इस प्रकार के कर राजस्व को बढ़ाना चाहेगी तो इसके परिणाम विपरीत होंगे।

उपरोक्त कारक दर्शाते हैं कि कर योग्य क्षमता उनके तत्वों से प्रभावित होती है। परन्तु यह फिर भी विवरण पूर्ण नहीं है कोई भी परिवर्तन करदान क्षमता को परिवर्तित कर देगा।

Scanned with CamScanner